फरीदाबाद से रची थी धमाके की आतंकी साजिश

- धमाके में जैश की महिला कमांडर का कनेक्शन
- उमर के डीएनए टेस्ट की चल रही तैयारी

नई दिल्ली. 11 नवम्बर. दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद मामले में नया मोड़ सामने आया है. पुलवामा से एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, जो मुख्य संदिग्ध उमर का करीबी दोस्त बताया जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मामले की गहराई से जांच करते हुए उमर के परिवार के सदस्यों को भी हिरासत में लिया है. डॉक्टर सज्जाद अहमद की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस अब विस्फोट के पीछे की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस उमर की पहचान के लिए उसके परिवार के डीएनए नमूनों की मदद ले रही है. वहीं, दिल्ली धमाके में जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर डॉ. शाहीन शाहिद का नाम भी सामने आया है, जो 8 सालों तक रहस्यमय तरीके से गायब थी. फरीदाबाद और लखनऊ से जुड़े उनके कनेक्शन जांच में अहम भूमिका निभा रहे हैं. खुफिया एजेंसियां उनके कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया चैट की गहन जांच कर रही हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने देश में सुरक्षा एजेंसियों के लिए नए सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह पता लगाने की कोशिश जारी है कि आतंकी नेटवर्क किस तरह सक्रिय है.

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए हालिया कार ब्लास्ट मामले में पुलवामा से एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी ने जांच को नई दिशा दी है. गिरफ्तार डॉक्टर उमर का करीबी दोस्त है, और पुलिस इसे विस्फोट की जांच के लिए महत्वपूर्ण ठहराती है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उमर के भाई और मां को भी हिरासत में लिया है और उनका डीएनए नमूना लेकर उमर की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. बताया जा रहा है कि उमर ने कुछ साल पहले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया था. जांच अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि शाहीन ने अपनी गायबगी के दौरान कहां रहकर और किन संपर्कों के जरिए आतंकी गतिविधियों में भाग लिया. डॉ. शाहीन का लखनऊ कनेक्शन और फरीदाबाद यूनिवर्सिटी से संबंध भी जांच में शामिल हैं.

4 साल से घर नहीं गया आरोपी डॉक्टर शकील

फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल चलाने के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी डॉक्टर मुज्जमिल शकील की गिरफ्तारी ने सुर्खियां बटोरी हैं. लाल किले पर हुए कार धमाके के बाद पुलिस ने उनके तार इस घटना से जोड़े हैं. हालांकि, शकील के परिवार ने उनके खिलाफ लगे आरोपों से पूरी तरह इंकार किया है. शकील की मां, नसीमा, ने कहा कि उन्हें बेटे की किसी भी गतिविधि की जानकारी नहीं थी. उन्होंने बताया कि मुज्जमिल लगभग चार साल पहले ही घर छोड़ चुका था और दिल्ली में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था.

ऑपरेशन सिंदूर सटीक प्रहार, नेटवर्क केन्द्रित अभियान : जनरल चौहान

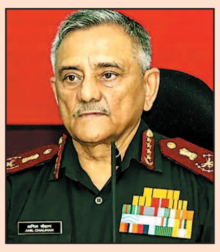

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक युद्ध का ऐसा अनोखा उदाहरण है जिसमें सटीक प्रहार क्षमता, नेटवर्क-केंद्रित ऑपरेशन, डिजिटल खुफिया जानकारी और बहु-क्षेत्रीय रणनीतियों का सीमित समय-सीमा में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल देखने को मिला. श्री सिंह ने मंगलवार को यहां दिल्ली डिफेंस डायलॉग में आधुनिक युद्ध पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव विषय पर कहा, ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक युद्ध का ऐसा उदाहरण है, जहां सटीक प्रहार क्षमता, नेटवर्क-केंद्रित ऑपरेशन, डिजिटल खुफिया जानकारी और बहु-क्षेत्रीय रणनीतिया एक सीमित समय-सीमा के भीतर प्रभावी ढंग से लागू की गई. जनरल चौहान ने सैन्य नेतृत्व के लिए उभरती वास्तविकताओं के साथ तेजी से तालमेल बिठाने की अनिवार्यता पर जोर दिया और कहा कि युद्ध के मैदान में सफलता निर्धारित करने में प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता एक निर्णायक कारक बन गई है. रक्षा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा, युद्ध मूलत: विजय प्राप्त करने के बारे में है और जो तकनीक में अग्रणी हैं, अंतत: उनकी ही जीत होगी.

पीड़ितों की आपबीती

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए धमाके ने पूरे इलाके में अफरातफरी मचा दी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए विस्फोट में कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने इस खौफनाक दृश्य का वर्णन किया. एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सबसे पहले हमने वहां फेफड़े जैसी चीज़ें देखीं, फिर कटे हुए हाथ, जिसे देखकर हम सन्न रह गए.

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने दु:ख व्यक्त किया

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने राजधानी में लाल किले के पास कार बम विस्फोट में हुई दुखद मौतों पर मंगलवार को गहरा दुख व्यक्त किया. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और अधिवक्ता समुदाय की ओर से जारी एक संदेश में मुख्य न्यायाधीश गवई ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. मुख्य न्यायाधीश ने अपने संदेश में कहा, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी शोक संतप्त लोगों के प्रति हैं जो घायल हुए हैं या अन्यथा प्रभावित हुए हैं. कोई भी शब्द इस तरह के नुकसान के दर्द को कम नहीं कर सकता, हमें उम्मीद है.

विस्फोट के मामले में कई नेताओं ने की निंदा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुये धमाके में कई लोगों की मृत्यु पर गहरा दु:ख एवं शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कुमार ने कहा कि यह घटना काफी दु:खद है. मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि मृतकों के परिजनों को दु:ख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें है. उन्होंने इस घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किला विस्फोट घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं. ताकि इसकी तह तक पहुंचा जा सके. वही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने लाल किला के नजदीक हुए कार बम विस्फोट की मंगलवार को कड़ी निंदा करते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उल्लेखनीय है कि लाल किले के पास सोमवार शाम एक कार में हुए विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गयी और करीब 20 लोग घायल हुए हैं. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने विस्फोट की इस घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) को सौंप दी है.

विश्व के नेताओं ने भी निंदा कर जताया दु:ख

विश्व नेताओं और विदेशी दूतों ने सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट पर दुख जताया और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है. भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि वह घटना से स्तब्ध हैं और विश्वास व्यक्त किया कि चल रही जांच से घटना के कारणों का पता चल जाएगा. अलीपोव ने एक्स पर लिखा, लाल किले में हुए विस्फोट से स्तब्ध हूं. मुझे विश्वास है कि चल रही गहन जांच से घटना के कारणों का पता चल जाएगा. पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने भी अपनी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की और एक्स पर लिखा, पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं. इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार न विस्फोट में मरे निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी और इजराइल की गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

केजरीवाल ने ब्लास्ट पर जताई गहरी चिंता

केजरीवाल ने जताई मृतकों के प्रति संवेदनाराष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके ने पूरे शहर में दहशत फैला दी है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इस घटना पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया है. एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लाल किले के पास हुए धमाके में कई लोगों की जान चली गई है, जो अत्यंत दुखद है. केजरीवाल ने पुलिस और केंद्र सरकार को तुरंत इस मामले की जांच करने का निर्देश देने की आवश्यकता जताई. उनका कहना है कि यह धमाका किस कारण हुआ और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है.

व्यापार व आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी

राष्ट्रपति मुर्मु ने अंगोला की संसद को संबोधित किया

अफ्रीकी देशों को मदद की प्रतिबद्धता दोहराई

लुआंडा/नई दिल्ली, 10 नवंबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित किया और अफ्रीकी देशों में शांति और प्रगति के लिए भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता दोहरायी.

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों के महत्व पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, व्यापार और आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. भारत और अंगोला-दोनों देशों का उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का इतिहास रहा है और दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों की पक्षधरता के साथ जुड़े हैं. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अंगोला अफ्रीका के सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक है. उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप में शांति व विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया.

राष्ट्रपति ने कहा कि जब दुनिया संघर्षों और अनिश्चितताओं के दौर से गुज़र रही है, जिसका दक्षिण के विकासशील देशों पर खासतौर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने कहा, हमें आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच संसदीय आदान-प्रदान को और बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. अंगोला की संसद में महिलाओं के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व की सराहना करते हुए श्रीमती मुर्मु ने कहा कि 39 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य महिलाएं होने के कारण, अंगोला की संसद समावेशी शासन का प्रेरणादायक उदाहरण है.

सिलेंडर फटने से दहला इलाका ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

अरियालुर/तमिलनाडु, 11 नवंबर. तमिलनाडु में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया, जिससे कई जोरदार धमाके हुए. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं. हादसा तमिलनाडु के अरियालुर जिले में हुआ.

पुलिस के मुताबिक, यह ट्रक 100 से ज्यादा गैस सिलेंडरों को लेकर जा रहा था. इसने डिंडीगुल रोड के पास एक इंडेन गैस गोदाम लोडिंग की थी और अरियालुर के एक स्थानीय डीलर को सिलेंडर पहुंचाने जा रहा था. ट्रक चालक की पहचान तिरुचि जिले के इनाम कुलथुर के कनगराज के रूप में हुई है. तंजावुर-अरियालुर हाइवे पर जाते वक्त पिल्लैयार मंदिर के पास ट्रक को टर्न लेना था, लेकिन तभी ट्रक के आगे एक कुत्ता आ गया, उससे टकराने से बचने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे नाले के पास पलट गया.

राजस्थान के आईएएस दंपति विवाद पर एफआईआर

जयपुर, 11 नवंबर. राजस्थान के सीनियर आईएएस दंपति के बीच विवाद उस समय उजागर हुआ, जब 2014 बैच की संयुक्त सचिव भारती दीक्षित ने अपने पति और वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता निदेशक पद पर कार्यरत आशीष मोदी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई. दीक्षित ने एसएमएस पुलिस स्टेशन में दी. शिकायत में पति के शराब पीकर धमकाने, अवैध संबंध, तलाक के लिए दबाव बनाने तथा पिस्तौल के दम पर बंधक बनाने जैसी गंभीर धाराओं का उल्लेख किया है.

विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के मामलों में डिजिटल मीडिया जिम्मेदार

नई दिल्ली, 11 नवंबर. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की अर्धवार्षिक शिकायत रिपोर्ट (2025-26) के अनुसार, विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के 97 प्रतिशत मामलों के लिए डिजिटल मीडिया जिम्मेदार रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर माह के बीच एएससीआई ने 6,841 शिकायतों की समीक्षा की और 6,117 विज्ञापनों की जांच की. इनमें से 98 फीसदी में संशोधन की आवश्यकता थी। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में शिकायतों में 70 फीसदी और विज्ञापनों पर कार्रवाई में 102 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. अवैध सट्टेबाजी में 4,575 विज्ञापन, तीन सरोगेट विज्ञापन, पर्सनल केयर में 367, स्वास्थ्य देखभाल में 332, खाद्य एवं पेय पदार्थों में 211 और शिक्षा में 71 विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करते पाये गये।

आज का इतिहास

1781 अंग्रेजों ने नागापट्टनम पर कब्जा किया.

1847 ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिंप्सन ने बेहोशी की दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफार्म का प्रयोग किया.

1918 ऑस्ट्रिया गणतंत्र बना.

1925 अमेरिका और इटली ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये.

1936 केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले.

1940 प्रसिद्ध अभिनेता अमजद ख़ान का जन्म.

1956 मोरक्को, सूडान और ट्यूनिशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए.

1963 – जापान में ट्रेन दुर्घटना में 164 लोग मारे गये.

केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम | Canara Bank A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर – 562002

क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अत: ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13 (4) उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम 9 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो हेतु **केनरा बैंक, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक
1	पलासिया पॉईंट शाखा, इन्दौर 89899 93248	श्री हारुन शेख पिता शमिमुद्दिन (ऋणी) एवं श्री गुलरेज अली पिता साबिर अली (जमानतदार)	प्लाट/मकान नं. 152, सुमती नगर, मथुरा वाली कॉलोनी, ग्राम चितावद, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल:** 1000 **वर्गफीट, सीमाएं: उत्तर:** प्लाट नं. 153, **दक्षिण:** प्लाट नं. 151, **पूर्व:** सड़क, **पश्चिम:** मदिना नगर	**3,94,766.53** + दिनांक 01.09.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	01.09.2025 / 06.11.2025
2	केसरबाग शाखा, इन्दौर 7049919127	श्रीमती हेमलता शर्मा पति कमलेश शर्मा, श्री कमलेश शर्मा पिता मदनलाल शर्मा (ऋणी) एवं श्री महेश कुमार व्यास पिता बाल कृष्ण व्यास (जमानतदार)	प्लाट नं. 18 पर स्थित रहवासी मकान, सेक्टर-सी, सुर्यदेव नगर, ग्राम तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर (म.प्र.) 452009, **क्षेत्रफल:** 600 **वर्गफीट, सीमाएं: उत्तर:** सड़क, **दक्षिण:** प्लाट नं. 132, **पूर्व:** प्लाट नं. 17, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क	**30,11,163.38** + दिनांक 13.08.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	14.08.2025 / 06.11.2025

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 12.11.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड | Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.

रतलाम शाखा: तल मंजिल, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम-457001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02200000863/ रतलाम शाखा) शशि जायसवाल (ऋणी) अंकुश जायसवाल (सह-ऋणी) मनीष सोनी (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, म्यूनि. नं. 80 3, वृन्दावन गली जावादिग अली वार्ड नं. 12, नागदा रतलाम रोड के पास, उज्जैन, मध्यप्रदेश-456224 **चर्तुसीमाएँ:**- पूर्व- कन्हैयालाल पहलवान का मकान, पश्चिम- रोड, उत्तर- गली, दक्षिण- गंगा बाई का मकान	08-09-2022 & ₹ 9,11,266/-	07-11-2025

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 12-11-2025
प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड | Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.

पीथमपुर शाखा: शॉप नंबर डीयूजीएफ-46 एवं डीयूजीएफ-47, संपत्ति नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स एवं संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, (म.प्र.) - 453331

खंडवा शाखा: प्लॉट नंबर 1, श्री नगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खंडवा - 450001 (मध्य प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1.	(लोन कोड नं. 05100001093/ पीथमपुर शाखा) सुबान बैग(ऋणी), साना बी (सह-ऋणी) फुरकान बैग एवं शेख हुसैन (जमानतदार)	16-04-2021 & ₹ 5,03,653/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, यूनिट नं. बी-103 (ईडब्ल्यूएस), एफएफ बिल्डिंग बी, ट्रेजर टाउन ग्राम बीजलपुर, तहसील इन्दौर मध्यप्रदेश-452001 **चर्तुसीमाएँ:**- पूर्व- यूनिट नं. 102, पश्चिम- खुली जगह, उत्तर - कॉरिडोर, दक्षिण - खुली जगह	Rs. 3,01,320 /-	Rs. 30,132/-	भौतिक
2.	(लोन कोड नं. 05510000190/ खण्डवा शाखा) शकील इब्राहीम (ऋणी), समिम बाई एवं युनूस शकील (सह-ऋणी)	11-08-2025 एवं ₹ 8,38,389/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल मदिना नगर नागचुन रोड़, हजरत खानशावली, वार्ड नं. 36, प्लाट नं. 03, (कॉलोनी लेआउट के अनुसार प्लाट नं. 02 का भाग), खण्डवा पूर्वी निमाड़, म.प्र.450001, **चर्तुसीमाएँ:**- पूर्व - वहीदा बी पति इब्राहीम खान का मकान, पश्चिम - जावेद अहमद खान का मकान, उत्तर - कॉलोनी प्लॉट नं. 9, दक्षिण - रोड़	Rs. 5,89,680 /-	Rs. 58,968/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **29.11.2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **01-12-2025 दोपहर: 03:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय संपर्क नंबर 7583898990** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश
दिनांक : 12.11.2025
सही/- प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यूको बैंक UCO BANK (A Government of India Undertaking) | पिपलियाहाना शाखा: 111-112 तिलक नगर, इन्दौर 452018

बैंक को गिरवी रखें स्वर्ण की नीलामी बिक्री

बैंक द्वारा निम्न उधारकर्ताओं को हमारी शाख द्वारा गोल्ड लोन योजना के अन्तर्गत दी गई अग्रीम राशि की भरपाई शेष है, जिसके संदर्भ में **यूको बैंक के अधिकारी (शाखा प्रबंधक) पिपलियाहाना शाखा, इन्दौर** में उधारकर्ता को बैंक की शेष बची निम्नलिखित राशि + भुगतान के लिए नोटिस जारी की गई थी। परन्तु उनके द्वारा बकाया शेष राशि चुकाने में चूक होने पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने अधिकारों/शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक में गिरवी रखें स्वर्ण की नीलामी/बिक्री द्वारा शेष बकाया राशि की वसूली की जावेगी। इस संबंध में स्वर्ण की बिक्री सार्वजनिक नीलामी से **दिनांक 29.11.2025 समय दोपहर 12.00 बजे (शाखा) पिपलियाहाना शाखा, इन्दौर** पर निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण के अनुसार की जाएगी।

उधारकर्ता का नाम एवं पता	स्वर्ण का विवरण	कुल वजन (ग्राम में)	शुद्ध वजन (ग्राम में)	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना जमा (रु.)	नीलामी बिक्री की तिथी
श्री राहुल सोंकर, 236, खटिक मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.)	लटकन-1	0.700	0.600	6260	1565	29.11.2025
	अंगूठी-2	5.00	4.20	43800	10950	
	झुमके-4	16.70	13.90	145110	36278	
	चैन-1	1.90	1.40	14610	3653	

नियम व शर्तें: (1) बैंक स्वर्ण संबंधी किसी वस्तु या अन्य आभूषण/सिक्कों के वजन या शुद्धता के प्रतिशत की गारंटी नहीं देता। **(2)** प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारी कोई भी कारण बताए बिना नीलामी बिक्री के किसी भी/सभी बीड/प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार या स्थगित/टालना/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। **(3)** नीलामी के माध्यम से आभूषण की खरीद के लिए दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय बैंक का ही होगा एवं बैंक अधिकतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। (4) स्वर्ण/अन्य आभूषण/सिक्कों को बैंक में नीलामी के तारीख से निर्धारित (15) दिन के पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर कारोबार घंटे के दौरान इच्छुक बोलीदाताओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। (5) इच्छुक खरीदारों को आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत बयाना के रुप में जमा करवाना होगा। (6) सफल बोलीदाताओं को शेष राशि के भुगतान के बाद आभूषण 24 घंटे के भीतर या अगले कार्यदिवस पर कामकाज के समय के दौरान सौंप दिये जायेंगे। (7) अगर सफल बोलीदाता बकाया राशि का भुगतान एक दिन के अंदर करने में विफल रहता है तो बैंक बयाना के रुप में दी गई राशि को जब्त कर लेगी और जब्त करने की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर आभूषणों की फिर से नीलामी कर सकती है, एवं पहली नीलामी के दौरान वह सफल बोलीदाता जिन्होंने बयाना के रुप में भुगतान की राशि के सामने आभूषण नहीं लिए उन्हें बकाया के रुप में तय की गई राशि में शेष राशि का भुगतान करना होगा। (8) असफल बोलीदाता को नीलामी खत्म होने के तुरंत बाद बयाना के रुप में ली गई राशि वापस की जायेगी। (9) बैंक नीलामी के दौरान किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, इस मामले में बयाना के रुप में ली गई राशि उस जमाकर्ता को लौटा दी जायेगी। (10) किसी भी प्रकार का विवाद इन्दौर क्षेत्राधिकार के अंदर सुने जायेंगे।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 12.11.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, शाखा पिपलियाहाना, इन्दौर